

# न्यायालय तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

(श्री घनश्याम जोशी तहसीलदार बयाना )

प्र०स०  
10/19

ता० रजु:  
3-6-19

किस्म मुकदमा.  
9) L R Act

निर्णय दिनांक  
12-6-19

सरकार

बनाम श्री दिनेश पुत्र श्री दोटे लाल जाति धाकड

निवासी दहगावा तह० बयाना

अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट

## निर्णय

पत्रावली पेश हुई । पटवारी हल्का दहगावा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम दहगावा के खसरा नं. 187 रकवा 0.79 में से रकवा 0.02 किस्म भूमि धाकड पर सम्वत 2006 में श्री दिनेश पुत्र दोटे लाल जाति धाकड नि० दहगावा तहसील बयाना ने मकान बाडा कर अतिक्रमण कर लिया है।


हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी/अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलव किया गया। जो शामिल मिसिल है। अप्रार्थी उपस्थित /अनुपस्थित हमने पत्रावली को अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लायी जावे। अतिक्रमी द्वारा राजकीय सिवायच्छक /चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नं. 187 रकवा 0.02 वाके ग्राम दहगावा से बेदखल किया जाता है। लगान ..... को 0.02 50 गुणा पैनल्टी राशि 513 से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी०आर०ए० हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली कर खली फसल को बज्जेराज लेकर फर्द नीलामी/अवैध निर्माण ध्वस्त कर वेदखली बावत हल्का पटवारी/गिरदावर को आदेश जारी हों।

पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 12-6-19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

इस बयाना का वाच बावत.  
वा. नं. 04 के पत्र नं. ....  
दिनांक 12.6.19 का वच 2019-20  
वेदखली क. .... फसल नीलामी  
को वा. नं. ....

राजकीय सिवायच्छक  
वसूली कर

  
तहसीलदार  
बयाना